प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी, थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2023
प्र0सू0रि0 सं ....25/2023.......दिनांक..............29/1/2023
2. (1) अधिनियम ....धाराऐं ......7ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 ....
3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार :– दिनांक 27.01.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 27.01.2023 समय :– 01.10 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....557.. समय..........1:15PM..........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –ए.सी.बी. बून्दी से करीब 30 कि0मी0 बजानिब पूर्व–दक्षिण दिशा
बीट संख्या...जुरामदेही सं..
(ख) पता:– ग्राम बाजड़ तहसील तालेडा जिला बूंदी
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम...............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री गुरूतेग प्रीत सिंह
(ख) पति का नाम :– श्री अमरीक सिंह
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 28 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय – खेती बाडी
(छ) पता :– ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

(1) प्रभाकर शर्मा पुत्र स्व. श्री सुधाकर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 43 साल निवासी गुरू नानक कॉलोनी बूंदी जिला बूंदी (प्राइवेट व्यक्ति)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 1,0**0,000 रूपये** ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 27.01.2023 समय 01.10 पी.एम. पर परिवादी श्री गुरूतेग प्रीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह जाति सिक्ख उम्र 28 साल निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी ने एसीबी चौकी उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् उप अधीक्षक को इस आशय की पेश की, कि – " प्रार्थी ग्राम बाजड जिला बूंदी का रहने वाला है। प्रार्थी के चाचा जी श्री रणजीत सिंह पिता हरवश सिंह की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1713/1208 रकबा 0.318 हेक्टेयर ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि को नार्दन बाईपास फेज–द्वितीय ग्रामछ मेगा हाइवे (एस.एच. –33) सडक निर्माण हेतु अवाप्त की गई है। उक्त अवाप्त भूमि के मुआवजा भुगतान के सम्बंध में दिनांक 23.05.2022 को आदेश जारी हुआ जिसमें उक्त भूमि की मुआवजा राशि 29,91,161 रूपये अंकित था। इसके अलावा इसी दिनांक को उक्त भूमि का दूसरा आदेश भी हमें प्राप्त हुआ, जिसमें भूमि की मुआवजा राशि 36,91,161 रूपये अंकित थी। इसके सम्बंध में काफी समय पहले एक व्यक्ति हमसे एडीएम सिलिंग कार्यालय बूंदी में मिला, जिसने स्वयं का नाम प्रभाकर शर्मा बताकर स्वयं का उक्त कार्यालय में बाबु (लिपिक) के पद पर कार्यरत होना बताया तथा कहा कि आपकी भूमि की मुआवजा राशि 7 लाख रूपये अधिक दिलवा दूंगा तथा 35 प्रतिशत कमीशन के अनुसार 2 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग करके कहा कि मुझे एडीएम साहब व ऊपर तक रूपये देने पडते है। इसके बाद दिनांक 25.01.2023 को प्रभाकर शर्मा द्वारा ने मोबाईल नम्बर 7357867799 से मेरे मोबाईल नम्बर 8107776156 पर कॉल कर बताया कि तेरे चाचा जी के खाते में कल 36,91,161 रूपये जमा हो जायेगे, मैं तेरे पास 27 तारीख को 2 लाख रूपये कमीशन के लेने आउंगा। प्रभाकर शर्मा के कहेनुसार मेरे चाचा जी के खाते में मुआवजा राशि के पैसे दिनांक 26.01.2023 को जमा हो गये है। मैं मेरे जायज काम के बदले प्रभाकर शर्मा को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मैं प्रभाकर शर्मा को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ कार्यवाही करने की कृपा करें। "

परिवादी ने मजीद दरयाफ्त पर बताया कि मेरे चाचा जी रणजीत सिंह काम में व्यस्त है तथा उनके कहने पर मैं शिकायत करने आया हूँ तथा प्रभाकर शर्मा रिश्वत लेने के लिये मेरे से ही बात करता है एवं प्रभाकर आज ही रिश्वत लेने मेरे घर पर आयेगा। परिवादी ने मुआवजा राशि का पत्र दिनांक 23.05.2022, जिसमें मुआवजा राशि को काटकर बढाया गया है की फोटो प्रति पेश की तथा मुआवजा राशि जमा होने बाबत बैंक पास बुक की फोटो प्रति पेश की, जिनको बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का होना पाया जाने पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना तय किया गया एवं मन् उप अधीक्षक अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ।

समय 01.30 पी.एम. पर परिवादी ने बताया कि मेरे मोबाईल में कॉल रिकार्डर है मैं कॉल करके होने वाली बातचीत को रिकार्ड कर लूंगा। इस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8107776156 से आरोपी प्रभाकर शर्मा के मोबाईल नम्बर 7357867799 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने वार्ता के दौरान कहा कि वह मेरे घर पर मौजूद है जिस पर मैंने रूकने का कहा तो उसने कल आना बताया तथा वार्ता के दौरान मैंने एक लाख रूपये की व्यवस्था हो जाने की बात कही तो उसने कहा कि मेरे को सामने वाले को देने पडते है, कल आ जाउंगा। उक्त वार्ता को परिवादी ने स्वयं के मोबाईल में रिकार्ड किया है इसलिये परिवादी को वार्ता को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि प्रभाकर शर्मा काफी चालाक वह शाम को पैसे लेने के लिये वापस मेरे घर आ सकता है या उसका कॉल आ सकता है। अतः परिवादी को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई।

समय 02.21 पी.एम. पर आरोपी प्रभाकर शर्मा ने मोबाईल नम्बर 7357867799 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 8107776156 पर कॉल किया और कहा कि शाम को मैं कोटा निकलूंगा, तब आप से घर मिलते हुये निकल जाउंगा। उक्त वार्ता को भी परिवादी ने स्वयं के मोबाईल में रिकार्ड किया है। परिवादी व आरोपी प्रभाकर शर्मा के मध्य मोबाईल पर हुई दोनों वार्ता को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में सेव (रक्षित) किया गया।

परिवादी द्वारा आरोपी से हुई मोबाईल वार्ताओं के अनुसार रिश्वत का लेन–देन दिनांक 27.01.2023 को ही होना तय हुआ है। अतः ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री राम सिंह कानि. 78 को मण्डल वन अधिकारी बूंदी के नाम जारी तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाह साथ लाने हेतु रवाना किया गया। जिस पर श्री राम सिंह कानि. 78 मय दो स्वतंत्र गवाहों के साथ ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया। दोनों स्वतंत्र गवाहों से नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम रोशन अली पुत्र स्व. श्री मुस्ताक मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी ग्राम छोटी पड़ाप तहसील नैंनवा जिला बूंदी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक बूंदी एवं दूसरे ने अपना नाम रमेश चन्द सैनी पुत्र स्व. श्री भंवर लाल जाति माली उम्र 46 साल निवासी गोधा मौहल्ला अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक बूंदी होना बताया। स्वतंत्र गवाहान का परिवादी गुरूतेग प्रीत सिंह से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 27.01.2023 को पेश प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति दी। परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास 1 लाख रूपये ही है मैं प्रभाकर शर्मा को 1 लाख रूपये देकर बाकि के रूपये बाद में देने के लिये सहमत कर लूंगा।

परिवादी श्री गुरूतेग प्रीत सिंह ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 200 नोट कुल राशि 1,00,000 रूपये मन ज्ञानचन्द उप अधीक्षक के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है :–

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये	2NW 848605
2	एक नोट पांच सौ रूपये	0PL 258059
3	एक नोट पांच सौ रूपये	9TG 801803
4	एक नोट पांच सौ रूपये	3CA 379907
5	एक नोट पांच सौ रूपये	6CW 611447
6	एक नोट पांच सौ रूपये	3ES 188065
7	एक नोट पांच सौ रूपये	2WP 886086
8	एक नोट पांच सौ रूपये	4ET 226919
9	एक नोट पांच सौ रूपये	9KM 934145
10	एक नोट पांच सौ रूपये	1BH 889626
11	एक नोट पांच सौ रूपये	3WB 380816
12	एक नोट पांच सौ रूपये	9EW 129498
13	एक नोट पांच सौ रूपये	7GS 149886
14	एक नोट पांच सौ रूपये	5FW 891899

15	एक नोट पांच सौ रूपये	7HG 973654
16	एक नोट पांच सौ रूपये	8EG 589993
17	एक नोट पांच सौ रूपये	7NL 524660
18	एक नोट पांच सौ रूपये	4TP 794996
19	एक नोट पांच सौ रूपये	5VC 588978
20	एक नोट पांच सौ रूपये	8HC 747087
21	एक नोट पांच सौ रूपये	9DN 277834
22	एक नोट पांच सौ रूपये	9SG 950833
23	एक नोट पांच सौ रूपये	9NG 604997
24	एक नोट पांच सौ रूपये	0KV 785480
25	एक नोट पांच सौ रूपये	9BR 795827
26	एक नोट पांच सौ रूपये	9BU 078899
27	एक नोट पांच सौ रूपये	2FS 047699
28	एक नोट पांच सौ रूपये	7NV 066322
29	एक नोट पांच सौ रूपये	8LW 825939
30	एक नोट पांच सौ रूपये	7AE 221296
31	एक नोट पांच सौ रूपये	0UA 101921
32	एक नोट पांच सौ रूपये	5QU 031696
33	एक नोट पांच सौ रूपये	3VW 551599
34	एक नोट पांच सौ रूपये	6UF 265288
35	एक नोट पांच सौ रूपये	8WP 424927
36	एक नोट पांच सौ रूपये	8HF 724935
37	एक नोट पांच सौ रूपये	9BS 165614
38	एक नोट पांच सौ रूपये	7KL 959155
39	एक नोट पांच सौ रूपये	7TE 429487
40	एक नोट पांच सौ रूपये	4KE 999837
41	एक नोट पांच सौ रूपये	8DR 209062
42	एक नोट पांच सौ रूपये	8QQ 805214
43	एक नोट पांच सौ रूपये	9BV 729244
44	एक नोट पांच सौ रूपये	7SF 371977
45	एक नोट पांच सौ रूपये	3WP 679483
46	एक नोट पांच सौ रूपये	3FM 033314
47	एक नोट पांच सौ रूपये	0SR 257294
48	एक नोट पांच सौ रूपये	1VL 154051
49	एक नोट पांच सौ रूपये	1AR 512532
50	एक नोट पांच सौ रूपये	7CM 972263
51	एक नोट पांच सौ रूपये	9VE 471704
52	एक नोट पांच सौ रूपये	4UQ 927323
53	एक नोट पांच सौ रूपये	7EB 763927
54	एक नोट पांच सौ रूपये	0DW 226766
55	एक नोट पांच सौ रूपये	3QM 366102
56	एक नोट पांच सौ रूपये	6NU 319039
57	एक नोट पांच सौ रूपये	9AV 016285
58	एक नोट पांच सौ रूपये	9KL 224420
59	एक नोट पांच सौ रूपये	7QD 928221
60	एक नोट पांच सौ रूपये	3BE 999323
61	एक नोट पांच सौ रूपये	2AP 458611
62	एक नोट पांच सौ रूपये	3DW 098733
63	एक नोट पांच सौ रूपये	2PH 925443
64	एक नोट पांच सौ रूपये	7AM 784846
65	एक नोट पांच सौ रूपये	9BN 008908
66	एक नोट पांच सौ रूपये	9VM 636491

67	एक नोट पांच सौ रूपये	2VT 132961
68	एक नोट पांच सौ रूपये	3PP 832064
69	एक नोट पांच सौ रूपये	6GQ 405291
70	एक नोट पांच सौ रूपये	5BQ 680562
71	एक नोट पांच सौ रूपये	8HC 795998
72	एक नोट पांच सौ रूपये	5BV 286193
73	एक नोट पांच सौ रूपये	2WP 256888
74	एक नोट पांच सौ रूपये	8EM 956232
75	एक नोट पांच सौ रूपये	5AS 425113
76	एक नोट पांच सौ रूपये	6FC 948446
77	एक नोट पांच सौ रूपये	8EM 018561
78	एक नोट पांच सौ रूपये	4EV 672490
79	एक नोट पांच सौ रूपये	9GF 165116
80	एक नोट पांच सौ रूपये	9PG 575248
81	एक नोट पांच सौ रूपये	6NF 285851
82	एक नोट पांच सौ रूपये	7SQ 832423
83	एक नोट पांच सौ रूपये	4ET 796796
84	एक नोट पांच सौ रूपये	1EL 416761
85	एक नोट पांच सौ रूपये	5AS 171000
86	एक नोट पांच सौ रूपये	4PD 871239
87	एक नोट पांच सौ रूपये	4GR 880901
88	एक नोट पांच सौ रूपये	8CV 705369
89	एक नोट पांच सौ रूपये	8PL 251814
90	एक नोट पांच सौ रूपये	3CA 379909
91	एक नोट पांच सौ रूपये	0DF 885989
92	एक नोट पांच सौ रूपये	9KL 981197
93	एक नोट पांच सौ रूपये	4EE 424625
94	एक नोट पांच सौ रूपये	5RR 388326
95	एक नोट पांच सौ रूपये	6KH 315952
96	एक नोट पांच सौ रूपये	4DR 979512
97	एक नोट पांच सौ रूपये	6SB 369355
98	एक नोट पांच सौ रूपये	3CA 379908
99	एक नोट पांच सौ रूपये	8MU 554530
100	एक नोट पांच सौ रूपये	6WE 603137
101	एक नोट पांच सौ रूपये	7BR 485548
102	एक नोट पांच सौ रूपये	1DP 481602
103	एक नोट पांच सौ रूपये	8FB 176635
104	एक नोट पांच सौ रूपये	7GC 258881
105	एक नोट पांच सौ रूपये	9FG 779698
106	एक नोट पांच सौ रूपये	4NU 948833
107	एक नोट पांच सौ रूपये	4KD 891133
108	एक नोट पांच सौ रूपये	9RH 090630
109	एक नोट पांच सौ रूपये	6EQ 572108
110	एक नोट पांच सौ रूपये	0PR 879214
111	एक नोट पांच सौ रूपये	5AT 745395
112	एक नोट पांच सौ रूपये	7WM 201055
113	एक नोट पांच सौ रूपये	0HP 657451
114	एक नोट पांच सौ रूपये	4DA 923585
115	एक नोट पांच सौ रूपये	5NN 672622
116	एक नोट पांच सौ रूपये	3BV 092318
117	एक नोट पांच सौ रूपये	7QE 183076
118	एक नोट पांच सौ रूपये	4DS 186295

119	एक नोट पांच सौ रूपये	3VU 017110
120	एक नोट पांच सौ रूपये	5LB 438632
121	एक नोट पांच सौ रूपये	3BK 684684
122	एक नोट पांच सौ रूपये	6PB 330085
123	एक नोट पांच सौ रूपये	3FS 697459
124	एक नोट पांच सौ रूपये	5NN 291710
125	एक नोट पांच सौ रूपये	4CB 341281
126	एक नोट पांच सौ रूपये	4CB 341282
127	एक नोट पांच सौ रूपये	6MV 990950
128	एक नोट पांच सौ रूपये	2SW 117512
129	एक नोट पांच सौ रूपये	3VW 497159
130	एक नोट पांच सौ रूपये	9QS 804043
131	एक नोट पांच सौ रूपये	1QS 146385
132	एक नोट पांच सौ रूपये	2FT 684898
133	एक नोट पांच सौ रूपये	5AK 348861
134	एक नोट पांच सौ रूपये	2GL 503020
135	एक नोट पांच सौ रूपये	8BK 015853
136	एक नोट पांच सौ रूपये	1AR 435986
137	एक नोट पांच सौ रूपये	4PR 443188
138	एक नोट पांच सौ रूपये	9SR 774497
139	एक नोट पांच सौ रूपये	8TP 037612
140	एक नोट पांच सौ रूपये	3HV 005917
141	एक नोट पांच सौ रूपये	7UK 175898
142	एक नोट पांच सौ रूपये	4BB 163209
143	एक नोट पांच सौ रूपये	7QK 106484
144	एक नोट पांच सौ रूपये	8WT 854220
145	एक नोट पांच सौ रूपये	7GM 170738
146	एक नोट पांच सौ रूपये	6AA 222618
147	एक नोट पांच सौ रूपये	6DS 210172
148	एक नोट पांच सौ रूपये	2ML 575293
149	एक नोट पांच सौ रूपये	5MS 770895
150	एक नोट पांच सौ रूपये	3BQ 683885
151	एक नोट पांच सौ रूपये	7FN 062274
152	एक नोट पांच सौ रूपये	4KP 070702
153	एक नोट पांच सौ रूपये	4GM 419110
154	एक नोट पांच सौ रूपये	1UA 846136
155	एक नोट पांच सौ रूपये	5CT 191390
156	एक नोट पांच सौ रूपये	1UW 952435
157	एक नोट पांच सौ रूपये	3EW 031454
158	एक नोट पांच सौ रूपये	2QB 548048
159	एक नोट पांच सौ रूपये	3DU 028392
160	एक नोट पांच सौ रूपये	8TW 798812
161	एक नोट पांच सौ रूपये	3RN 420497
162	एक नोट पांच सौ रूपये	5AF 459098
163	एक नोट पांच सौ रूपये	1NU 214114
164	एक नोट पांच सौ रूपये	6MM 124774
165	एक नोट पांच सौ रूपये	3MN 288000
166	एक नोट पांच सौ रूपये	6FD 864773
167	एक नोट पांच सौ रूपये	0UW 476412
168	एक नोट पांच सौ रूपये	2BW 003070
169	एक नोट पांच सौ रूपये	5FL 063584
170	एक नोट पांच सौ रूपये	5UG 578711

171	एक नोट पांच सौ रूपये	8RN 435959
172	एक नोट पांच सौ रूपये	9SS 952018
173	एक नोट पांच सौ रूपये	3FG 231259
174	एक नोट पांच सौ रूपये	7CE 747015
175	एक नोट पांच सौ रूपये	3EW 030047
176	एक नोट पांच सौ रूपये	8HG 695339
177	एक नोट पांच सौ रूपये	8VM 093549
178	एक नोट पांच सौ रूपये	2TT 063924
179	एक नोट पांच सौ रूपये	5EU 549933
180	एक नोट पांच सौ रूपये	4DL 870313
181	एक नोट पांच सौ रूपये	4RP 749826
182	एक नोट पांच सौ रूपये	8CV 205799
183	एक नोट पांच सौ रूपये	9FH 414811
184	एक नोट पांच सौ रूपये	1DB 804416
185	एक नोट पांच सौ रूपये	9KH 920188
186	एक नोट पांच सौ रूपये	0RB 394736
187	एक नोट पांच सौ रूपये	2VL 613161
188	एक नोट पांच सौ रूपये	1MU 332829
189	एक नोट पांच सौ रूपये	6QH 869412
190	एक नोट पांच सौ रूपये	2HK 038956
191	एक नोट पांच सौ रूपये	9QG 690541
192	एक नोट पांच सौ रूपये	3RQ 053223
193	एक नोट पांच सौ रूपये	3KV 010855
194	एक नोट पांच सौ रूपये	5RA 795711
195	एक नोट पांच सौ रूपये	2HV 825959
196	एक नोट पांच सौ रूपये	2AT 835630
197	एक नोट पांच सौ रूपये	4PR 908632
198	एक नोट पांच सौ रूपये	6UT 828553
199	एक नोट पांच सौ रूपये	8KW 012764
200	एक नोट पांच सौ रूपये	6RU 842047

श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई जाकर सभी नोटो पर श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी गुरूतेग प्रीत सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री रोशन अली से लिवाई जाकर पावडर लगे नोट श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि द्वारा परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया एवं धोल मे श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सम्बधितो को दिखाकर गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। दृष्टांत कार्यवाही में काम में लिये गये कांच के गिलास को कार्यालय में अलग रखा गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री गुरूतेग प्रीत सिंह को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री गुरूतेग प्रीत सिंह को समझाइश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से टीम/मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल करें अथवा अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामील कार्यवाही की गई।

इसके बाद श्रीमती हेमेन्द्रा म.कानि. 416 को कार्यालय में रहने की हिदायत कर ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर, ट्रेप में काम आने वाली सामग्री सरकारी बोलेरो में रखवाकर मन् उप अधीक्षक मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, राजकमल कानि. 330,

राम सिंह कानि. 78, जितेन्द्र सिंह कानि. 413, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के प्राइवेट कार व सरकारी बोलेरो से ट्रेप कार्यवाही हेतु ग्राम बाजड. के लिये रवाना होकर समय 04.15 पी.एम. पर के.पाटन रोड, ग्राम बाजड नहर के पास पहुँचा। परिवादी के घर व आसपास की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा आरोपी के आने के इंतजार में मुकीम हुये।

समय 05.08 पी.एम. पर परिवादी ने बताया कि प्रभाकर शर्मा के मोबाईल पर मेरी बात हुई है और उसने कहा है कि मैं घन्टेभर में रूपये लेने आपके घर आ रहा हूँ आप घर पर मिलना। इस पर मन् उप अधीक्षक ने परिवादी के घर पर प्रथम फ्लोर पर एसीबी जाप्ता श्री राम सिंह कानि. 78, श्री राजकमल कानि. 330, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहने की हिदायत दी तथा परिवादी को समझाइश की गई कि आरोपी के घर पर आने पर बातचीत करने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकार्ड करें तथा रिश्वत लेने के बाद टीम को ईशारा करें। मन् उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के प्राइवेट कार में तथा सरकारी बोलेरो में श्री प्रेमप्रकाश के नहर के पास गोपनीय स्थान पर मुकीम रहें तथा आरोपी के आने की प्रतीक्षा में मुकीम हुये।

समय 06.38 पी.एम. पर एसीबी जाप्ता श्री राजकमल कानि. 330 ने जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक को बताया कि आरोपी परिवादी के घर पर आकर परिवादी से रिश्वत लेने के बाद परिवादी ने चौक में आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित इशारा किया है, जिस पर आरोपी व्यक्ति को हमने पकड लिया है। इस पर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के रवाना होकर समय 06.41 पी.एम. पर प्राइवेट कार से परिवादी के घर पहुँचा। जहां पर मकान परिसर के चौक में एसीबी जाप्ता श्री राजकमल कानि. 330, श्री राम सिंह कानि. 78, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 ने एक खाकी जैकेट व जीन्स पहने हुये व्यक्ति को पकड रखा था तथा पास में परिवादी खडा था। परिवादी से मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि ये ही प्रभाकर शर्मा है जिसने अभी मेरे से अधिकारियों के नाम से 1 लाख रूपये रिश्वत के लेकर जैकेट के नीचे पहन रखी शर्ट की जेब में रखे है, ये वापस जाने लगा तो मैंने आपकी टीम को इशारा कर दिया, जिस पर प्रभाकर शर्मा को पकड लिया। इस पर उक्त व्यक्ति घबराकर कहने लगा मैंने कोई रिश्वत नही ली है। इस पर मन् उप अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को तसल्ली देकर अपना व टीम का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से नाम पता, पद पूछा तो उसने अपना नाम प्रभाकर शर्मा पुत्र स्व. श्री सुधाकर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 43 साल निवासी गुरू नानक कॉलोनी बूंदी जिला बूंदी होना बताया। आरोपी से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि साहब गलती हो गई है मैं प्राइवेट आदमी हूँ। इस पर अग्रिम कार्यवाही के कम में चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 को सरकारी बोलेरो के मौके पर बुलाकर ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। परिवादी के घर से एक जग में साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री प्रभाकर शर्मा के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच–1, आर.एच–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री प्रभाकर शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच–1, एल.एच–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

आरोपी प्रभाकर शर्मा की तलाशी गवाह रोशन अली से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई जैकेट के नीचे शर्ट की बायी साईड की जेब में 500–500 रूपये के नोट मिलें। जिनको गवाहान से गिनवाया तो 500–500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000 रूपये मिले। नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकसी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अकिंत नम्बरों से हु ब हु पाये गयें, नोट रिश्वती होने के कारण नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर सभी नोटो को एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी प्रभाकर शर्मा की पहनी हुई शर्ट उतरवाई गई। वक्त घटना आरोपी प्रभाकर शर्मा के पहने हुये शर्ट की बायी जेब का धोवन लेने के लिये एक अन्य कांच के साफ गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। सोडियम कार्बोनेट पाउडर के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री प्रभाकर शर्मा के उतरवाये गये शर्ट की बायी जेब को उल्टा करवाकर गिलास में डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो कांच की साफ शीशियो मे आधा आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एस–1, एस–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी प्रभाकर शर्मा के वक्त घटना पहने हुई शर्ट हुलिया –बरंग गहरा खाकी रंग, जिस पर अग्रेजी भाषा में TOMMY HILFIGER DENIM का स्टिकर मार्का लगा हुआ है, शर्ट की जेब को सुखाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल मोहर कर वजह

सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया व कपडे की थैली पर मार्क–एस अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये के सम्बंध में आरोपी प्रभाकर शर्मा से पूछने पर बताया कि " मैंने गुरूतेग प्रीत सिंह से 1 लाख रूपये इसके चाचा जी रणजीत सिंह की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दिलवाने की एवज में लिये है मैंने मेरे लिंक होने के कारण गुरूतेग प्रीत सिंह को मुआवजा दिलवाया है उसकी एवज में रूपये लिये है। गुरूतेग प्रीत सिंह ने अपनी मर्जी से खुश होकर मुझे रूपये दिये है।"

इस पर पास में खडे परिवादी गुरूतेग प्रीत सिंह से पूछने पर बताया कि "मेरे चाचा रणजीत सिंह की भूमि करीब 3–4 साल पहले अवाप्त हो चुकी थी, परन्तु मुआवजा राशि नही मिली थी। हमें दिनांक 23.05.2022 का जारी पत्र मिला, जिसमें मुआवजा राशि 29,91,161 रूपये मिलने का प्राप्त हुआ था। अन्य लोगों के खाते में मुआवजे के पैसे डल गये तथा मेरे चाचा जी के खाते में मुआवजे के पैसे नही आने पर मैं एडीएम सिलिंग कार्यालय बूंदी आया तो मुझे प्रभाकर शर्मा मिला और कहा कि मैं यहां बाबु का काम करता हूँ आपको मुआवजा राशि 29,91,161 रूपये से बढाकर 36,91,161 रूपये दिलवा दूंगा तो मैंने कहा ठीक है। प्रभाकर शर्मा ने कहा कि मैं एडीएम साहब अमानउल्लाह खान से मिलकर मुआवजा राशि 7 लाख बढाकर आपके पास पत्र भिजवा दूंगा। इसकें बाद दिनांक 23.05.2022 को ही जारी दूसरा पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें मुआवजा राशि 36,91,161 रूपये अंकित थी। उसके बाद प्रभाकर शर्मा मेरे पास घर पर आया तथा कहा कि आपको आपकी भूमि की मुआवजा राशि 7 लाख रूपये अधिक दिलवा रहा हूँ तथा 35 प्रतिशत कमीशन के अनुसार 2 लाख 50 हजार रूपये मुझे दे देना, तो मैंने कहा ठीक है तो इसने मुझे मुआवजा राशि में 7 लाख रूपये बढाकर कुल मुआवजा राशि 36,91,161 रूपये का पत्र भी दिया था। इसके बाद कहा कि आपके खाते में रूपये डलवाते ही आपको फोन कर बता दूंगा। मैंने प्रभाकर शर्मा को कहा कि ढाई लाख ज्यादा है तो मेरे से कहा कि मुझे कमीशन एडीएम साहब व ऊपर अधिकारियों को देना पडता है। इसके बाद दिनांक 25.01.2023 को प्रभाकर शर्मा द्वारा ने मोबाईल नम्बर 7357867799 से मेरे मोबाईल नम्बर 8107776156 पर कॉल कर बताया कि तेरे चाचा जी के खाते में कल 36,91,161 रूपये जमा हो जायेगे, मैं तेरे पास 27 तारीख को 2 लाख रूपये कमीशन के लेने आउंगा। प्रभाकर शर्मा के कहेनुसार मेरे चाचा जी के खाते में मुआवजा राशि के पैसे दिनांक 26.01.2023 को जमा हो गये है। इसके बाद ये मेरे घर मुआवजा राशि जमा करवाने की एवज में कमीशन की राशि लेने घर आया और मेरे से 1 लाख रूपये रिश्वत के लिये है। मैंने मेरी मर्जी से कोई रिश्वत नही दी है।"

परिवादी से ली गई रिश्वत राशि किस उच्च अधिकारी या कार्मिक के कहने पर ली गई है, के सम्बंध में पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि " मैं पदम इन्फोटेक कोटा एजेन्सी के मार्फत एडीएम (सिलिंग) कार्यालय बूंदी में संविदा पर कार्यरत था। एडीएम (सिलिंग) कार्यालय बूंदी में अवाप्तशुदा भूमियों के मुआवजा राशि के अवार्ड जारी होते है। इस कार्य हेतु श्री सतीश शर्मा वरिष्ठ सहायक, श्री अमित शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री तेजकरण अति. प्रशासनिक अधिकारी तथा मैं काम करते थे। भूमियों के अवार्ड जारी का कार्य सतीश जी करवाते थे। मुझे सतीश जी लिस्ट देते थे तो जो किसान राजी खुशी मुआवजा राशि लेने की एवज में रूपये दे देते थे, उनसे सम्पर्क कर लेता था। मुझे दिनांक 23.12.2022 को संविदा समाप्त करने के कारण एडीएम कार्यालय बूंदी से हटा दिया था। लेकिन सतीश जी से मेरे सम्पर्क अच्छे है। रणजीत सिंह के मुआवजा पत्रावली की फाईल की मुझे जानकारी थी। रणजीत सिंह को पहले मुआवजा राशि 29,91,161 रूपये का पत्र जारी हुआ था, लेकिन मुआवजा राशि रणजीत सिंह को प्राप्त नही हुई थी। मेरे पास रणजीत सिंह का भतीजा गुरूतेग प्रीत सिंह अक्टुम्बर 2022 में मेरे पास एडीएम कार्यालय बूंदी आया तो मैंने सतीश जी से बात की तो उन्होनें कहा कि मुआवजा बढाकर 35 प्रतिशत कमीशन लेते है मैं एडीएम साहब अमानउल्लाह खान से बात करता हूँ। उसके बाद सतीश जी ने मुझे बताया था कि मुआवजा राशि 29,91,161 रूपये से बढाकर 36,91,161 रूपये करवा दी है, गुरूतेग प्रीत सिंह से सम्पर्क कर ले। उसके बाद मैं बाजड जाकर गुरू तेग प्रीत सिंह से मिला तथा 35 प्रतिशत के हिसाब से ढाई लाख कमीशन के देने की बात की ली थी। दिसम्बर 2022 में मुझे हटाने के बाद मैंने मेरे परिचित इरफान, जो अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा में संविदा पर काम करता है, उसको भी किसानों के खाते में मुआवजा राशि जमा होने की सूचना रहती है, क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग व एडीएम (सिलिंग) बूंदी का ज्वाईट खाता है, इस कारण मैंने इरफान से बात करके रणजीत सिंह के खाते में मुआवजा जमा होने की जानकारी इरफान से ली तथा उसके बाद गुरूतेग प्रीत सिंह से बात करके उसके घर पर 2 लाख रूपये लेने गया था, जहां आप लोगों ने मुझे पकड लिया। मैं एडीएम सिलिंग बूंदी अमानउल्लाह खान से सीधा कमीशन लेन–देन की बात नही करता था। सतीश जी से ही मेरा कमीशन लेन–देन होता था। इरफान को मैं जानकारी लेने की एवज में 5–10 हजार रूपये दे देता था। इरफान के मोबाईल नम्बर 9785999123 एवं सतीश शर्मा के मोबाईल नम्बर 9460595011 है।"

आरोपी प्रभाकर शर्मा द्वारा अपने मोबाईल से परिवादी से रिश्वत लेन–देन के सम्बंध में बातचीत की है तथा आरोपी द्वारा अन्य सदिंग्ध सतीश शर्मा व इरफान से भी बातचीत या जानकारी मोबाईल के जरिये ली है, जिनकी व्हाटसअप चैटिंग मोबाईल में है। अतः आरोपी के कब्जे में मिलें एक मोबाईल हुलिया कबूतरी रंग, BENCO कम्पनी, मॉडल नं. AE9010, आईएमईआई नं. 864912055410725, 864912055410733, सिम नं. 7357867799 वोडोफोन आईडिया को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल मोहर कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया व कपडे की थैली पर मार्क–एम अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी प्रभाकर शर्मा द्वारा परिवादी के चाचा रणजीत सिंह की अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि खाताधारक के खाते में जमा करवाने की एवज में अति. जिला कलक्टर (सिलिंग) बूंदी व अन्य अधिकारियों के नाम पर रिश्वत की मांग करके परिवादी से 1,00,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये। आरोपी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ ट्रेप किया जाकर रिश्वत राशि आरोपी के पहनी हुई शर्ट की जेब से बरामद की गई। आरोपी प्रभाकर शर्मा पुत्र स्व. श्री सुधाकर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 43 साल निवासी गुरू नानक कॉलोनी बूंदी जिला बूंदी कृत्य जुर्म धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है। फर्द हाथ धुलाई, जप्ती शर्ट व मोबाईल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने के लिये परिवादी के घर ग्राम बाजड़ पर आने के लिये परिवहन साधन के रूप में उपयोग की गई मोटरसाइकिल नं. आर.जे. 08 एसआर 6674 को बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। परिवादी की निशादेही से रिश्वत लेन–देन स्थल का परिवादी के घर का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया।

मौके की कार्यवाही के बाद आरोपी की जप्तशुदा मोटरसाइकिल को श्री राम सिंह कानि. 78 को सिपुर्द कर निर्देश दिये गये कि मोटरसाइकिल को कार्यालय में ले जाकर सुरक्षित खडा करें, बाद हिदायत राम सिंह कानि. 78 को रवाना कर मन् उप अधीक्षक मय परिवादी गुरूतेग प्रीत सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के आरोपी प्रभाकर शर्मा को लेकर ट्रेप में जप्तशुदा आर्टिकल्स मय ट्रेप बॉक्स व उपकरण के प्राइवेट कार व सरकारी वाहन बोलेरो से ग्राम बाजड से रवाना होकर समय 09.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया। श्री राम सिंह कानि. 78 से जप्त मोटरसाइकिल को परिसर में सुरक्षित खडा करवाया गया। ट्रेप में जप्तशुदा आर्टिकल्स को सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया।

आरोपी के घर पर अवाप्तशुदा भूमियों के मुआवजे से सम्बंधित दस्तावेज एवं साक्ष्य मिलने की सम्भावना होने के कारण मन् उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, श्रीमती हेमेन्द्रा म.कानि. 416, श्री राजकमल कानि. 330 के आरोपी प्रभाकर शर्मा को हमराह लेकर सरकारी वाहन से आरोपी के गुरू नानक कॉलोनी स्थित आवासीय मकान पहुँचकर नियमानुसार मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तलाशी के दौरान आरोपी के घर पर मिले सरकारी रिकार्ड को जरिये फर्द पृथक से जप्त किया गया। बाद खाना तलाशी मन् उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, श्रीमती हेमेन्द्रा म.कानि. 416, श्री राजकमल कानि. 330 के आरोपी प्रभाकर शर्मा को हमराह लेकर सरकारी वाहन से जिला कलेक्ट्रेड बूंदी पहुँचा। जहां पर श्री मुकेश चौधरी अति. जिला कलक्टर (सिलिंग) बूंदी से परिवादी गुरूतेग प्रीत सिंह के चाचा रणजीत सिंह की भूमि अवाप्ति के मुआवजा राशि से सम्बंधित पत्रावली को पेश करने की कहने पर उनके द्वारा एक पत्रावली पेश की, उक्त पत्रावली 1 लगायत 15 तक की सत्यापति प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई।

परिवादी श्री गुरूतेग प्रीत सिंह तथा आरोपी प्रभाकर शर्मा के मध्य दिनांक 27.01.2023 को रिश्वत लेन–देन के सम्बंध में हुई मोबाईल वार्ता– प्रथम, मोबाईल वार्ता–द्वितीय जो परिवादी द्वारा स्वयं के मोबाईल से कॉल रिकार्डर के जरिये रिकार्डर की है। उक्त दोनों मोबाईल वार्ता को लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ताओं की पृथक–पृथक फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 416 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री गुरूतेग प्रीत सिंह तथा आरोपी प्रभाकर शर्मा के मध्य दिनांक 27.01.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता, जो परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की है, उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 416 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी प्रभाकर शर्मा को परिवादी द्वारा पेश मोबाईल वार्ताओं एवं वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता और ना ही एफ.एस.एल. से परीक्षण करवाना चाहता हूँ।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

ट्रेप कार्यवाही से आरोपी प्रभाकर शर्मा के विरूद्ध जुर्म धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री गुरूतेग प्रीत सिंह तथा आरोपी प्रभाकर शर्मा के मध्य दिनांक 27.01.2023 को रिश्वत लेन–देन के सम्बंध में हुई मोबाईल वार्ता– प्रथम, मोबाईल वार्ता– द्वितीय एवं वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता सहित कुल 3 रिकार्ड वार्ताओं की श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप से चार डब्ड सी0डी0 तैयार करवाई गई। जिसमें से तीन सी.डी. को कपडे की थैली में अलग–अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक सी0डी0 को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखी गई। फर्द डबिंग व जब्ती सीडी मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की जाकर सीलशुदा सीडी व एक अनसील सीडी को श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 के जरिये मालखाना में जमा करवाया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 27.01.2023 को परिवादी श्री गरूतेग प्रीत सिंह ने एक शिकायत ब्यूरो कार्यालय बूंदी में पेश की। शिकायत में अंकित किया गया कि परिवादी गरूतेग प्रीत सिंह के चाचा श्री रणजीत सिंह पिता हरवश सिंह की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1713/1208 रकबा 0.318 हेक्टेयर ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि को नार्दन बाईपास फेज–द्वितीय ग्रामछ मेगा हाइवे (एस.एच.–33) सडक निर्माण हेतु अवाप्त किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि 29,91,161 रूपये से 7 लाख रूपये बढाकर 36,91,161 रूपये दिलवाने की एवज में आरोपी प्रभाकर शर्मा द्वारा उच्च अधिकारियों के नाम से 35 प्रतिशत कमीशन के अनुसार 2 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। दिनांक 25.01.2023 को प्रभाकर शर्मा द्वारा परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि तेरे चाचा जी के खाते में कल 36,91,161 रूपये जमा हो जायेगे, मैं तेरे पास 27 तारीख को 2 लाख रूपये कमीशन के लेने आउंगा। प्रभाकर शर्मा के कहेनुसार परिवादी के चाचा जी के खाते में मुआवजा राशि 36,91,161 रूपये दिनांक 26.01.2023 को जमा हो गये है। दिनांक 27.01.2022 को परिवादी श्री गरूतेग प्रीत सिंह से आरोपी प्रभाकर शर्मा को 1,00,000 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई शर्ट की जेब से बरामद की गई। आरोपी के दोनो हाथों व शर्ट की जेब का सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोवन लिया गया तो हाथों का रंग हल्का गुलाबी तथा शर्ट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ है।

आरोपी प्रभाकर शर्मा ने पूछताछ में उक्त राशि सदिंग्ध इरफान संविदाकर्मी कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा व श्री सतीश शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय अति. जिला कलक्टर (सिलिंग) बूंदी से आपसी मिलीभगत कर प्राप्त करने का कथन किया है एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान प्राप्त रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये उच्च अधिकारियों के नाम से मांग कर लेने की पुष्टि हुई है। उक्त के सम्बंध में अन्य लोक सेवको की आपराधिक भूमिका के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी प्रभाकर शर्मा पुत्र स्व. श्री सुधाकर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 43 साल निवासी गुरू नानक कॉलोनी बूंदी जिला बूंदी (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध जुर्म धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रभाकर शर्मा पुत्र स्व. श्री सुधाकर शर्मा(प्राईवेट व्यक्ति) निवासी गुरू नानक कॉलोनी, बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 25/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 193-95 दिनांकः- 29.1.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

29.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।